

डिक्री बमुकदमें ईत्वादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 469/2025


सुभाष पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  
- वादी

**बनाम्**

1. कपिल कुमार पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. धर्मपाल पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कौशल्या पत्नी श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. सरबती पत्नी श्री भादरराम जाति जाट निवासी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. शांति देवी पत्नी श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. ओमप्रकाश पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. कृष्ण कुमार पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. देवीलाल पुत्र श्री जगमाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्दा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:- वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 102/89 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.542 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 0.253 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 3 व 4 को 1.265 है. कृषि भूमि ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 बी.जी.पी. के खाता सं. 33/12 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.497 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 5 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 बी.जी.पी. के खाता सं. 25/86 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.265 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.029 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 6 ता 8 को 0.236 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रति.सं. 3 व 4 का नाम कलमजन किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 बी.जी.पी. के खाता सं. 88/43 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 का नाम कलमजन किया जावे एवं इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 ता 8 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 बी.जी.पी. के खाता सं. 32/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 6.298 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर

  
महस्यक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

प्रतिवादी सं. 6 ता 8 का ब.हि.ब. हिस्सा कम किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता/रकमराज निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

(क) वादी सुभाष पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 102/89 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.  
204/149 28 8,13/0.253 है.प्र.

205/148 26 2,9,12,19,22/0.253 है.प्र.

205/149 27 1/0.253 है. कुल 2.024 है. कृषि भूमि

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 25/86 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

204/150 33 1ता4/0.253 है.प्र., 10/0.017 है.,

(किला की उत्तरी दिशा में) कुल 1.029 है. कृषि भूमि

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 88/43 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

204/149 28 9/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 32/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

204/150 33 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.

कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः 1. कपिल कुमार पुत्र श्री धर्मपाल व धर्मपाल पुत्र श्री भादरराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 102/89 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

204/147 20 24/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 33/12 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

204/147 20 11/0.199 है.(किला की दक्षिणी दिशा में), 12/0.198 है.

(किला की दक्षिणी दिशा में), 18,19,20/0.253 है.प्र.,

21/1/0.234 है., 22,23/0.253 है.प्र.

204/148 25 2/1/0.234 है., 9/1/0.114 है.कुल 2.244 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 3 व 4 क्रमशः कौशलया पत्नी श्री धर्मपाल व सरबती पत्नी श्री भादरराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 102/89 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

204/147 20 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

204/148 25 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7/0.253 है.

कुल 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 5 शांति देवी पत्नी श्री मनीराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 33/12 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

204/147 20 9/1/0.072 है., 10/1/0.072 है., 11/0.054 है.

(किला की उत्तरी दिशा में), 12/0.055 है.

(किला की उत्तरी दिशा में) कुल 0.253 है. कृषि भूमि

महायुक्त कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

(ड) प्रतिवादी सं. 6 ता 8 क्रमशः ओमप्रकाश पुत्र श्री जगमाल, कृष्ण कुमार पुत्र श्री जगमाल व देवीलाल पुत्र श्री जगमाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 25/86 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.  
204/150 33 10/0.236 है.(किला की दक्षिणी दिशा में)  
कुल 0.236 है. कृषि भूमि

चक 7 बी.जी.पी. खाता सं. 32/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

204/150 33 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,  
7,8,9,12,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है.,  
15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,  
17,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

204/151 36 4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,  
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,14/0.253 है.प्र.,  
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.092 है.,  
16/3/0.008 है., 17/0.253 है.

205/150 34 21,22/0.253 है.प्र., 23/2/0.126 है.

205/151 35 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है.,  
16/2/0.025 है.

कुल 6.045 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतंकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज  निल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा

शरह फ्रीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.10.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

**सहायक कलक्टर एवं**

उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया